न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/ 861 दिनांक 26/9/25

श्री गौतम
निवासी तहसील बयाना
जिला भरतपुर
मो न0 9358363756

विषयः—अपील संख्या 60/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री गौतम बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार बयाना** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

गौतम बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 60 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट गौतम निवासी तहसील बयाना जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060712868981582 से लोक सूचना अधिकारी **तहसीलदार बयाना** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **तहसीलदार बयाना** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर भरतपुर	773 5/9/25
19/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/60/2025

गौतम निवासी तहसील बयाना मो.नं. 9358363756

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.09.2025**

गौतम निवासी तहसील बयाना जिला भरतपुर की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060712868981582 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना तहसीलदार बयाना से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/773 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बयाना का जबाब पत्र क्रमांक एल.आर./25/3530 दिनांक 18.09.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी/आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण कार्यालय के पत्रांक एल.आर./25/2733 दिनांक 30.06.2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि प्रशासनिक सुधार एवं सामान्य विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राज. जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(22)प्र.सु./सू.अ.प्र./06 दिनांक 2.2.2009 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत काल्पनिक प्रश्नों के सन्दर्भ में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्रादेश क्रमांक प.3(22) प्र.सु / सूअप्र / 06 दिनांक 2–2–2009 के पेरा–3 में :– में स्पष्ट है –

> ''..........नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है........।''

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना द्वारा जरिये पत्रांक एल.आर. / 25 / 2733 दिनांक 30.06.2025 से सूचित/अवगत कराया जा चुका है यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

क्रमांक / LR / 25 / 3530 दिनाँक 18/9/2025

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
भरतपुर (राज०)

विषय :- अपील संख्या 60/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 गौतम निवासी बयाना तहसील बयाना V/S तहसीलदार बयाना

प्रसंग :- श्रीमान जी का पत्रांक / कोर्ट / 25 / 773 दिनांक 4/9/25

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि कार्यालय हाजा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ। प्रार्थी आवेदक गौतम तहसील व निवासी बयाना का आवेदन प्राप्त होते ही इस कार्यालय के पत्रांक / LR / 25 / 2733 दिनांक 30/6/25 को आवेदक के लिए सूचना भेज दी गई थी। जिसमें बिन्दु संख्या एक व्याख्यात्मक प्रश्नात्मक थी। जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 2/4/2009 के बिन्दु संख्या 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

सादर,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 18/9/25
तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

कार्यालय तहसीलदार बयाना

क्रमांक/LR/25/2733 दिनांक 30-6-25

प्रेषित :- श्री गौतम, बयाना

Mob. 9358363756

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 तहत सूचना चाहने बाबत् प्राप्त आवेदन (ऑन लाईन) में आपका पता (पोस्टल पता) अंकित नहीं होने से अंकित मोबाईल नं. पर सम्पर्क करने पर सम्पर्क नहीं हो पाया। आप द्वारा चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या 1 से 4 तक चाही गयी प्रश्नात्मक है जबकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 03 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गयी समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।"

बिन्दु संख्या 5 - प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर है।

चाही गयी सूचना से अवगत हों।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)